Citizens for Justice and Peace

प्रेस रिलीज

एप्रिल 15, 2013

श्रीमती ज़किया जाफ़री की निषेध याचिका अहमदाबाद के दंडाधिकारी न्यायालय मे दाखिल

आज 15 अप्रेल को श्रीमती ज़किया जाफ़री ने अहमदाबाद के दंडाधिकारी न्यायालय मे अपनी निषेध याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका मे उनकी प्रार्थना है की विशेष जाँच पथक (SIT) के अहवाल को पूरी तरह से नामंजूर किया जाय और उन सभी 59 व्यक्तियों के विरूध्द आरोप पत्र दाखिल किया जाय। इन्ही 59 व्यक्तियों के विरूध्द श्रीमती जाफ़री ने अपनी 8.6.2006 की कैफियत में आरोप लगाया है।

27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में हुई आगजनी की घटना के तुरंत बाद, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ठंडे दिमाग से एक भयानक साजिश रची ताकि गोधरा कांड का नाजायज़ फायदा उठाकर सारे राज्य के मुसलमानों को निशाना बनाया जाय। इस साजिश में गुजरात सरकार के मंत्री, भाजप के कई आमदार, उच्च श्रेणी के प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा के अधिकारी और विश्व हिंदू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता शामिल थे। इस साजिश के मुख्य आरोपी श्री मोदी और उस समय के गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री श्री अशोक भट (आरोपी क्र 2), नगर विकास मंत्री श्री आय. के. जाडेजा (आरोपी क्र 3), और उस समय के विश्व हिंदू परिषद, गुजरात के महामंत्री श्री जयदिप पटेल (आरोपी क्र 21) थे। आश्चर्य की बात है की गोधरा दुर्घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री (जो गृहमंत्री भी थे और आज भी हैं) की पहली बातचीत गृह विभाग के प्रशासकिय अधिकारी अथवा पुलिस सेवा के अधिकारीयों से नही बल्कि विश्व हिंदू परिषद के श्री जयदीप पटेल से हुई थी। श्रीमती ज़ाफरी की निषेध याचिका 514 पन्नों की है और उसके साथ सहपत्रों के तीन खंड और दस सी. डी. जोडी हुई हैं जिसमें हजारों सरकारी दस्तावेज हैं। याचिका में यह दावा किया गया है कि विशेष जाँच पथक (SIT) ने जो अनेक दस्तावेज इकठ्ठा किये हैं और जो बयान दर्ज किये हैं उनके आधार पर यह स्पष्ट है की सभी आरोपियों पर जो आरोप किये गये हैं वह सकृत दर्शनीयता से सही है।

Nirant, Juhu Tara Road, Juhu, Mumbai – 400 049. Ph: 2660 2288 email: cjpindia@gmail.com, teesteesta@gmail.com

यह होते हुए भी विशेष जाँच पथक (SIT) ने आरोपियों के गुनाहों पर परदा डालने का काम किया है, अदालत को गुमराह किया है ओर सभी आरोपियों को क्लीन चिट दिया है। फरवरी-मार्च 2002 के मोबाईल फोन रिकार्ड से यह स्पष्टरूप से सिध्द होता है कि गोधरा कांड की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों और अधिकारीयों के साथ सलाह मश्वरा करने से पहले ही विश्व हिंदू परिषद के श्री जयदीप पटेल से संपर्क किया था। उसके बाद बड़ी ही जल्दबाजी मे सभी कानूनों ओर नियमों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थानपर गोधरा शहर में मृतकों का शव-विच्छेदन (पोस्ट-मॉर्टम) करवाया गया था। विश्व हिंदू परिषद के अनेक नेता और कार्यकर्ता यह तमाशा देखते रहे और ज़हरीले नारे लगाते रहे। इस अवसर पर श्री मोदी भी वहाँ उपस्थित थे।

इस घटना के बाद लोगों की भावनाओं को चेतावनी दी जा रही थी, और एक भयानक निर्णय लिया गया और यह निर्णय श्री मोदी की अध्यक्षता मे बुलाई गयी मंत्रीगण की छोटी मीटींग मे लिया गया था। यह निर्णय लिया गया की गोधरा मे हताहत लोगों के शव विश्व हिंदू परिषद के महाबली नेता श्री जयदीप पटेल (आरोपी क्र 21) के हाथों सौंप दिये जाएँ। इस मीटींग मे सह-आरोपी मंत्रीगण भी उपस्थित थे। श्री जयदीप पटेल भी वहाँ उपस्थित थे। श्रीमती जयंती रवी, उस वक्त की गोधरा जिला दंडाधिकारी ने यह स्पष्ट तरीके से लिखा है की श्री जयदीप पटेल इस मीटींग मे उपस्थित थे।

निषेध याचिका मे यह सभी विवरण विस्तारपूर्वक दिया गया है। जाँच के कागजाद के आधार पर यह विवरण दिया गया है और उसमे यह स्पष्ट दिखाई देता है की श्री मोदी ने और उनके सहयोगी आरोपीत श्री के. चर्कवर्ती (आरोपी क्र 25), गुजरात के उस वक्त के पुलिस महासंचालक, उस वक्त के अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त श्री पी. सी. पांडे (आरोपी क्र 29), उस वक्त के गृहविभाग के प्रधान सचिव श्री अशोक नारायण (आरोपी क्र 28) और प्रशासन के और पुलिस सेवा के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारीयों ने मिलकर यह साजिश रची और किस तरह से अपनी साजिश के मुताबिक प्रशासन और पोलिस सेवा दल को जानबूझकर नाकाम कर के रखा और उन्हे अपना कर्तव्य निभाने नही दिया।

राज्य गुप्तचर संस्था ने गुजरात के सभी जिलों से इकठ्ठे किये हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रिय अहवाल जनवरी 2010 मे विशेष जाँच पथक को दिये थे। इसका मतलब यह है की विशेष जाँच पथक ने अपना पहला जाँच अहवाल दिनांक 12-5-2010 को सर्वोच्च न्यायालय मे दाखिल किया, उससे पूरे तीन महिने पहले ही यह अहवाल विशेष जाँच पथक के पास पहुँच चुके थे। इन अहवालों मे प्रत्यक्ष वास्तवता दिखाई देती है, उसमे यह स्पष्ट दिखाई देता है की खून के प्यासे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता 27-02-2002 के सायं 4.00 बजे के बाद खुले आम आवाहन कर रहे थे और ‘खून का बदला खून से लेंगे’ इस तरह की घोषणाएँ देते हुए घूम रहे थे जब कि श्री मोदी तब तक गोधरा मे ही थे। मुख्यमंत्री के कार्यालय के दूरध्वनी के रेकॉर्ड से यह पता चलता है कि श्री मोदी हेलिकॉप्टर से गोधरा जाने के लिए मेघानीनगर (जहाँ गुलबर्ग सोसायटी मे दूसरे दिन नरसंहार का आयोजन किया गया था) होते हुए एयरपोर्ट पहुँचे। मुख्यमंत्री कार्यालय के दूरध्वनी रेकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि हवाई जहाज से

वडोदरा से (उन्होंने अपनी गोधरा से वापसी की यात्रा सडक से तय की थी) निकल कर श्री मोदी अहमदाबाद वापस पहूँचे। श्री मोदी और उनके साथ यात्रा कर रहे मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी सायंकाल के समय मेघानीनगर में उपस्थित थे। (मोबाईल फोन के रेकॉर्ड के आधार पर)

गोधरा की दुर्घटना के सिर्फ एक हफ्ता पहले यानी 22-02-2002 को श्री मोदीने राजकोट का उपचुनाव बहुत ही कम मतों से जीता था (सिर्फ कुछ हजार मतों से) उनके गरीमा को अल्पसंख्यांकों के मत बडी संख्या मे उनके विरूध्द जाने से गहरी ठेस पहुँची थी। भारतीय कम्युनिष्ठ पक्ष के पूर्व नेता और बाद मे काँग्रेस पक्ष के लोकसभा सदस्य श्री एहसान जाफ़री जो मेघानीनगर के गुलबर्ग सोसायटी मे रहते थे और उन्होंने ही उस उपचुनाव मे श्री मोदी के विरूध्द सक्रिय अभियान चलाया था।

अपनी भयानक साजिश की पूर्ती के लिए श्री मोदी के घर मे देर रात को एक मीटींग हुई जिसमे प्रशासन और पुलिस दल को अपना घटनात्मक उत्तरदायित्व निभाने से मुकरने का इशारा दिया गया। निषेध याचिका मे यह आवाहन किया गया है की 27-02-2002 की महत्वपूर्ण मीटींग की विश्वासार्हता को सूनवाई के बाद न्यायालय तय करेगी। और यह भी ध्यान मे रखा जाए कि जाँच संस्था को इस घटना के बारे मे पूर्व अनुमान करना उनका काम नही था जो की उन्होंने महाबली आरोपितों को रक्षण देने के लिए अपना कार्यक्षेत्र का उल्लंघन किया और न्यायालय जैसा काम किया।

श्री पी. सी. पांडे द्वारा विशेष जाँच पथक को 15-03-2011 के बाद सौंपा गया पुलिस कंट्रोल रूम का रेकॉर्ड (पी. सी. आर.) यह दर्शाता है की किस तरह ठंडे दिमाग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को 28-02-2002 के सुबह 4.00 बजे से ही सोला सिवील अस्पताल के पास इकठ्ठा किया गया था, जहा पर गोधरा मृतकों के शव पहूँचने वाले थे और यह भीड़ बडी आक्रमकता से उनका इंतजार कर रही थी। श्री मोदी (आरोपी क्र 1) के नियंत्रण मे गृह मंत्रालय था जो उस वक्त भी गृहमंत्रालय का कारोबार देख रहे थे। और श्री पी. सी. पांडे (आरोपी क्र 29) जिन पी. सी. आर. संदेशों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, इनसे यह पता चलता है कि अहमदाबाद और गुजरात राज्य के कई स्थानों पर भीड़ को इकठ्ठा किया जा रहा था और गोधरा के शवों के जुलूस निकाले जा रहे थे जिसमे खुलेआम घोषणाएँ देकर निरपराध मुस्लिमोंपर हमले करने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा था।

श्री शिवानंद झा जो उस वक्त अहमदाबाद के पुलिस सहआयुक्त थे और जो इस कैफियत मे एक आरोपित भी है (आरोपी क्र 38), सोला सिविल अस्पताल के प्रभारी थे। निम्नलिखित संदेशों के अवतरणों मे यह दिखाई देता है कि अनेक पी. सी. आर. संदेशों मे बार बार बंदोबस्त की माँग की गई थी; इन अवतरणो से यह भी दिखाई देता है कि उस अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर धमकियों से घिरे हुए थे और गोधरा के मृतकों के शवो के साथ 5000-6000 की तादाद मे भीड इकठ्ठी हुई थी और अंतिम संदेश यह भी कहता है ''दंगे शुरू हो चुके हैं''।

इसके बावजूद भी श्री मोदी और पूरा गृहमंत्रालय और अन्य आरोपित, जैसे कि श्री चर्कवर्ती (आरोपी क्र 25) तथा श्री पी. सी. पांडे (आरोपी क्र 29) ने विशेष जाँच पथक के साथ मिलकर इन सबूतों को दबाने की पूरी कोशिश की हैं । जबकि इस तरह के आक्रमक अंत्ययात्रा के जुलूस अहमदाबाद मे निकालने की अनुमती दी गई उसी तरह उतनी ही विस्फोटक स्थिती खेड ब्रम्हा, वडोदरा, मोडासा, दाहोद और आनंद जैसे कई जगह पर भी थी। श्री मोदी के नियंत्रण मे चल रही सरकार ने और उनके सहयोगी साजिशकर्ता आरोपितों ने इन सबूतो को छुपाने की भरसक कोशिश की हैं।

पुलिस नियंत्रण कक्ष के रेकॉर्ड, जिसे छिपाने की विशेष जाँच पथक ने बहुत कोशिश की, यह भी दर्शाता है कि किस तरह श्री पी. सी. पांडे के नियंत्रण मे अहमदाबाद की पुलिस यंत्रणा तथा श्री मोदी के नियंत्रण मे जो गृहमंत्रालय था और उस वक्त के गृहराज्य मंत्री श्री गोवर्धन झडफिया (आरोपी क्र 5) के पास आचार्य गिरीराज किशोर, लोगों को उकसाने वाली घोषणाए देने मे माहिर विश्व हिंदू परीषद के नेता को हवाई अड्डे से सोला सिवील अस्पताल तक छोडने के लिए पर्याप्त बल था जिसका इस्तेमाल करते हुए यह नेता उन जुलूस कारीयो को जा मिले जो खूनी घोषणाएँ दे रहे थे और गंदी भाषा मे चिल्ला रहे थे। लेकिन उनके पास नरोदा पाटीया (जहाँ दिन दहाडे 96 लोगों को मार डाला गया तथा उसी दिन उसी वक्त गुलबर्ग सोसायटी मे 69 लोग मारे गये) भेजने के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध नही था। (आरोप पत्र मे नरोदा पाटीया प्रकरण मे 96 से ज्यादा लोग हताहत होने का दावा किया गया है)। श्री मोदी ने बंद का खुलेआम पूरा समर्थना किया और प्रशासन को निष्क्रिय बनाकर राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ तथा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के भीडो को गुजरात के सडको पर निरपराध लोगों की हत्याएँ करने के लिए पूरी छूट दे दी।

श्री मोदी तथा उनके प्रशासन ने विदवेशपूर्ण भाषण और लोगों को उत्तेजित करने वाले घोषणाओं पर कोई रोक नही लगाया न कोई कारवाई की। अहमदाबाद के पुलिस नियंत्रण कक्ष के संदेश और राज्य गुप्तचर विभाग को पूरे राज्य से प्राप्त हुए संदेश इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह यह हमलावर भीड को इकठ्ठा किया गया था।

सुचनाओं को नजरअंदाज करना (पुलिस नियंत्रण कक्ष के और राज्य गुप्तचर शाखा के संदेशोंसे प्राप्त)

27 फरवरी को रात के 12:30 बजे: राज्य गुप्तचर शाखा के एक अधिकारी ने मुख्यालय को फॅक्स नंबर 525 द्वारा अवगत कराया की अहमदाबाद शहर के कालूपूर अस्पताल मे कुछ शवों को लाये जाने की खबर है। ''अहमदाबाद शहर मे सांप्रदायिक हिंसाचार होने की संभावना है; प्रतिबंधक कारवाईयाँ करें''।

राज्य गुप्तचर शाखा के और एक संदेश द्वारा, जिसका जावक क्र था 184/02, फिर से सूचित किया गया था की अगर शवों को अहमदाबाद मे लाया गया तो सांप्रदायिक घटनाए घट सकती हैं। ''शहर मे सांप्रदायिक हिंसाचार होने की संभावना है। इसलिए प्रतिबंधक कारवाईयाँ करें''। उसी संदेश मे यह भी कहा गया था की कारसेवकों ने गोधरा के संदर्भ में दूर चित्रवाणी पर विस्फोटक बयान दिये है और मुसलमानों के विरुध्द हिंसा छेडने की धमकियाँ भी दी हैं।

28 फरवरी के दिन 01:51 बजे और फिर से 01:59 बजे पुसिल वायरलेस वॅन, जो सोला अस्पताल के पास खडी थी, उसपर से घबराहट के संदेश मिले और विशेष राखीव पुलिस दल के तुरंत संरक्षण की मांग की गई थी और यह भी मांग की थी की परिक्षेत्र-1 के सहाय्यक पुलिस आयुक्त को जगह पर भेजे।

28-02-2002: 02:44 बजे एक संदेश: सोला सिवील अस्पताल मे मोटरों का ताफा पहूँच चुका है।

सहपत्र IV फाईल XIV पन्ना नं 5790 यह दर्शाता है की सुबह 04.00 बजे स्वयंसेवक, याने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3,000 कार्यकर्ता, सोला सिवील अस्पताल मे इकठ्ठे हुए हैं।

पुलिस नियंत्रण कक्ष का वाहन सुबह 07:14 बजे पुसिल नियंत्रण कक्ष को खबर देता है की अस्पताल मे बडी संख्या मे लोग इकठ्ठे हुए हैं (सहपत्र IV फाईल XIV पन्ना नं 5796)

उसके तीन मिनीट बाद और एक संदेश सुबह 07:17 बजे आया जो कहता है के 500 लोगो ने वाहनों का आवागमन रोका हुआ है (सहपत्र IV फाईल XIV पन्ना नं 5797)

दस शवों को रामोल, नरोदा के पास वाला इलाका, को लाया गया और 5000-6000 से भी ज्यादा तादाद मे मातम मनाने वाले लोग अंतयात्रा का जुलूस निकालते हुए दोपहर को हटकेश्वर स्मशान मे उन शवों को ले गये।

सुबह 11:55 बजे भेजा गया पुसिल नियंत्रण कक्ष का संदेश यह कहता है की हिंदूओं की भीड हिंसक हो चूकी है और एक वाहन को उन्होंने आग लगाई है तथा हायवे पर लूटमार मचा दी है।

28-02-2002 सुबह 11:55 बजे का एक संदेश (सहपत्र IV फाईल XV पन्ना नं 6162) कहता है ''सैय्यद साहब, प्रोटोकॉल अधिकारी ने सोला-1 को बताया है की सोला सिवील अस्पताल मे उच्च न्यायालय के पास, जहाँ शवों को लाया गया है, वहाँ दंगे शुरू हुए हैं।''

इसके बाद और एक संदेश है जिसपर समय लिखा नही गया है (28-02-2002 का पन्ना नं 6162) कहता है कि अस्पताल के कर्मचारीयों और अधिकारीयों को 500 लोगों की भीड ने घेर रखा है और वह बाहर नही आ सकते।

इस संदेश मे भी सोला सिवील अस्पताल मे और सुरक्षा का इंतज़ाम करने की मांग की गई है।

सहपत्र IV फाईल XIV - संदेश नं 5907 तथा 5907, 28-02-2002, सुबह 11:58 बजे: रामोल जनता नगर से हटकेश्वर स्मशान भूमी पर 5000-6000 लोगों के भीड ने जुलूस के साथ दस शवों को लाया गया।

28-02-2002 की सुबह, एक राज्य गुप्तचर शाखा के संदेश (पन्ना नं 258, सहपत्र III, फाईल XIX, संदेश क्र 538/28/02/02) कहता है कि साबरकांठा जिले के खेड ब्रम्ह शहर मे अंतयात्रा के जुलूस को अनुमती दी गई थी। संदेश मे यह भी कहा है की अंतयात्रा जुलूस के बाद खेडब्रम्ह को जानेवाले 2 मुस्लिमों को चाकू से भोका गया और स्थिती तणावपूर्ण हो चूकी है।

उसके बाद का संदेश जो पन्ना नं 262 पर है (सहपत्र III फाईल XIX) जिसका नं 574/2002 है और जो 28-02-2002 को दोपहर को 15:32 बजे भेजा गया था, उसमे यह कहा गया है कि गोधरा आगजनी मे और एक पीडीत, बाबूभाई हरजीभाई पटेल, वाघरोल तहसील वदाली का रहिवासी, का शव वापस लाया गया है और साबरकांठा शहर मे और एक अंतयात्रा के जुलूस का आयोजन किया गया है।

हेतूपुरस्सर भीड़ जमा करने की सूचनाएँ

सहपत्र III, फाईल XXI (D-166) पन्ना नं 365 संदेश नं 73/02 दिनांक 28-02-2002 जो सुरत क्षेत्र के सहाय्यक पुलिस आयुक्त (गुप्तचर) ने राज्य गुप्तचर शाखा के गांधीनगर मुख्यालय को भेजा था, उसमे कहा गया था की 28-02-2002 के सुबह 09:10 बजे वापी शहर के सरदार चौक मे एक सभा हुई जिसमे विश्व हिंदू परिषद के दिनेश कुमार बेहरी तथा बजरंग दल के आचार्य ब्रम्हभट्ट, भाजप के जवाहर देसाई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विनोद चौधरी आदी नेताओं ने गोधरा की घटना के बारे मे प्रक्षोभक भाषण दिये और हिंदूओं को इकट्ठा होने का आवाहन किया।

सहपत्र III फाईल XVIII पन्ना नं 188 पर और एक संदेश है जो गोधरा के रेल डब्बे जलने की दुर्घटना के दिन याने 27-02-2002 को रात को 20:38 बजे भेजा गया था, उसमे यह लिखा है, ‘‘दिलीप त्रिवेदी विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री, सहसचिव डॉ जयदीप पटेल तथा कौशिक मेहता ने

संयुक्त बयान जारी किया है और यह घोषित किया है कि निरपराध रामभक्तों पर किये गये हमले के विरुध्द गुजरात बंद का आयोजन किया गया है। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अय्योध्या से वापस आने वाले रामसेवकों पर किया गया हमला मुस्लिमोंने पुर्वनियोजित किया था। निरपराध औरतों का विनयभंग किया गया और रेल डिब्बे को आग लगाकर रामसेवकों को जिंदा जलाया गया।''

गुजरात के विश्व हिंदू परिषद के तीन वरिष्ठ पदाधिकारीयों का जारी किया हुआ संयुक्त बयान सांप्रदायिक भावनाओं को भडकाने के उद्देश से किया था। इसका सुयोग्य प्रतिसाद यह होना चाहिए था कि सरकार को ऐसे सार्वजनिक सभाओं पर तुरंत रोक लगानी चाहिए थी। और जरुरत पडने पर गडबडी मचाने वाले लोगो को प्रतिबंधक कारवाईयाँ के तहत कैद करना चाहिए था। परंतू ऐसी कोई भी कारवाई नही की गई। विश्व हिंदू परिषद ने 28 फरवरी को बंद का ऐलान किया और सत्ताधारी पक्ष भाजपा ने उसका खुलेआम समर्थन किया। जैसे कि राज्य सरकार ने बंद पर प्रतिबंध लगाने के बजाए विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कत्लेआम कि खुली छुट दे दी हो।

सहपत्र III फाईल XIX पन्ना नं 345 संदेश का नाम वर्धी नं 24 दि. 27-02-2002 को अहमदाबाद के विभाजीय अधिकारी ने विरणगाम के गुप्तचर कार्यालय को भेजा था (विरणगाम अहमदाबाद ग्रामीण जिले मे आता है) उसमे यह कहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 50 से 75 तक कार्यकर्ता विरणगाम शहर के चाली और गोलवाडा क्षेत्र मे इकट्ठे हुए हैं और वहा की स्थिती बहुत तणावपुर्ण हैं।

उसी फाईल मे याने सहपत्र III फाईल XVIII (D-160) पन्ना नं 19 संदेश नं 531 जो राज्य गुप्तचर शाखा के कर्मचारी ने के. आर. सिंग को 18:10 बजे दिनांक 27-02-2002 को भेजा था। उसमे यह कहा था, ''27-02-2002 के दिन 04:30 बजे जब ट्रेन अहमदाबाद रेल्वे स्टेशन पर पहूँची तब कारसेवकों के हाथो मे दंडे थे और वह खूनी घोषणाएँ दे रहे थे - 'खून का बदला खून' और 'भारत माता की जय'।''

फॅक्स संदेश D-1/HA/जाहिर सभा/जुनागढ/311/02 दिनांक 27-02-2002 को रात को 10:12 बजे पुलिस निरीक्षक, गुनाह जाँच विभाग (CID), भावनगर गुप्तचर ने गुजरात के महा निरीक्षक, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, गांधीनगर को भेजा गया था। उसमे यह कहा था की साधु समाज के अध्यक्ष गोपाला नंदजी ने जूनागढ़ के काढवा चौक मे 27-02-2002 के दिन शाम को 19:30 से 21:00 बजे एक संतप्त भाषण दिया। संदेश मे आगे स्थानिक विश्व हिंदू परीषद के नेताओं के नाम दिये गये है और यह कहा गया है कि इन नेताओं ने कारसेवकों को आदरांजली दी और बाद मे विद्वेशपूर्ण भाषण दिये और सभी हिंदूओं को एक होने का आवाहन किया तथा भाषण सुनने वालों को आवाहन किया की हमारे शत्रूओं के हाथ और पैर काट देने चाहिए। अपने भाषणों मे उन्होंने कहा की सुबह 07:30 बजे गोधरा मे घटना घटी और अभी तक हिंदूओं ने कोई प्रक्षोभ व्यक्त नही किया यह बात बहुत ही

दुर्भाग्यपुर्ण है। ''जो मुस्लिम भारत मे देश भक्ती और प्रामाणिकता के साथ रहते है उनके विरोध मे हमे कोई शिकायत नही। लेकिन हमे उनके विरूध्द आक्षेप है जो भारत मे रहते हैं फिर भी पाकिस्तान को समर्थन देते हैं और देश के विरूध्द कारवाईयाँ करते हैं। राष्ट्रदोही कारवाईयाँ मदरसों मे चलती हैं। हमे उनपर आक्षेप हैं। पूजा, प्रार्थना मंदीरों मे और नमाज मस्जिदों मे ठीक हैं मगर पाकिस्तान जिंदाबाद यह ठीक नही है। इन लोगों ने इस तरह की बाते की हैं।''

फॅक्स संदेश कॉम/एच एम/550/02 दिनांक 27-02-2002, 23:59 जावक क्र 398 गांधीनगर क्षेत्र के गुप्तचर शाखा के सहाय्यक पुलिस आयुक्त ने गुजरात के पुलिस महानिरीक्षक को तथा राज्य गुप्तवार्ता गांधीनगर को भेजे गये संदेश मे यह कहा है कि विशेष बस मे सफर कर रहे 50 कारसेवक अहमदाबाद से वडगाम गाव, तहसील धनसुरा के मोडासा केंद्र मे 27-02-2002 के दिन करीब 18:30 बजे पहूँच गये। ''उनका स्वागत 500 लोगों ने किया तथा इन कारसेवकों ने भीड को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे पर हमला किया गया था। भीड मे उपस्थित लोग प्रक्षोभित हुए और 21:30 बजे गाव से और लोग इकट्ठा हुए और भीड बडी तादाद मे इकट्ठा हुई। कानून और सुव्यवस्था रखने के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध नही था और 10 पान बीडी की दुकानों को आग लगाई गयी। जीप, मारूती और अंबासॅडर जैसे वाहनों को भी आग लगाई गयी। यह वाहन तथा दुकानें मुस्लिमों की थी। यासीन भाई मुल्तानी का करोल केंद्र का दुकान ताकाडी, बावलू पी एस कल्याणपूर गाव, भीड ने जला दिया।''

28-02-2002 के पूरे दिन अहमदाबाद शहर मे कई जगह आग लगाई गयी, पुलिस नियंत्रण कक्ष के दफ्तर से यह पता चलता है कि विविध क्षेत्र से अग्नी शमन दल को बारबार संपर्क किया गया लेकिन कोई जवाब नही मिला।

दूरध्वनी रेकॉर्ड का ब्योरा

Call Type	Cell-No (Name)	Duration Secs	Date-Time	Dialed / Received No-Name
Outgoing	9825037439 A P Patel (Accused No 1, Mr Modi)	77	27.2.2002 09:39:38	9825023887 Mr Jaideep Patel VHP General Secretary (Accused No 21)
Outgoing	9825037439 A P Patel (Accused No 1, Modi)	20	27.2.2002 09:41:39	9825023887 Mr Jaideep Patel VHP General Secretary (Accused No 21)

निषेध याचिका मे प्रार्थना की गई है की सभी आरोपितों के विरूध्द आरोप पत्र दाखिल हो, आगे की जाँच स्वतंत्र संस्था के जिम्मे सौंपा जाए और याचिका दाखिल की जाए।

(विश्वस्त, सिटीझन्स फॉर जस्टिस ॲन्ड पीस)

आय. एम. कादरी	तैझून खोराकीवाला	नदंन मलुस्ते
सायरस गझदर	अरविंद कृष्णास्वामी	जावेद अख्तर
एलिक पदमसी	अनिल धारकर	गुलाम पेशइमाम
राहूल बोस	जावेद आनंद	तीस्ता सेतलवाड
सेड्रिक प्रकाश		